प्रेस नोट दिनांक 20.07.2025

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद ईंट अद्दा को किया गया बरामद

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया गौरा अतरसण्ड से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 19.07.2025 को वादी की पुत्री को आरोपी द्वारा मारपीट कर हत्या कर देने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर पर थाना कोहंडौर में मु0अ0सं0 112/25 धारा 103 (1) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा॒0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना कोहंडौर थानाध्यक्ष धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 प्रतीक सिंह, का0 राहुल कुमार, का0 गौरव बाबू, का0 सौरभ सिंह द्वारा दिनांक 16.07.2025 को देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी जाँच पेण्डिगं विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 112/25 धारा 103 (1) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मो0 असलम पुत्र मो0 जलील निवासी ग्राम धर्मापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के नहर पुलिया गौरा अतरसण्ड से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने अपने पत्नी को भाभी के साथ दवा लाने को कहा तो मेरी पत्नी ने भाभी के साथ जाने से मना कर दिया । मेरी पत्नी के पेट में बच्चा था । वह मेरे साथ दवा लाने की जिद कर रही थी । मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी पत्नी को उसी के दुपट्टे से टीन के बने मकान में फासी पर लटका दिया और वह बेहोश हो गयी । बेहोश होने के बाद निचे उतार कर मैंने उसके माथे पर ईंट के आध्धे से मार दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी । मौके से आलाकत्ल ईंट का आध्धा बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 असलम पुत्र मो0 जलील निवासी ग्राम धर्मापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी विवरण-
घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद ईंट अद्दा बरामद ।

पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 प्रतीक सिंह, का0 राहुल कुमार, का0 गौरव बाबू, का0 सौरभ सिंह थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह आरक्षी प्रवीण कुमार के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान सेशन केश संख्या 205/2025 धारा 4/5 एक्शपलोशिव एक्ट थाना लीलापुूर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित एक नफर वारण्टी 1. अभियुक्त मो0 इशरार उर्फ सिस्टम पुत्र मो0 जमा निवासी गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को अजगरा रानीगंज से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अभियुक्त मो0 इशरार उर्फ सिस्टम पुत्र मो0 जमा निवासी गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विनीत कुमार

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के वरिष्ठ उ0नि0 राजनारायण सिंह मय हमराह आरक्षी रमेश चन्द्र के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान केस नं0 167/24 धारा 128 सीआरपीसी थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित एक नफर वारण्टी 1. मो0 इरफान पुत्र स्व0 नियामुल नि0ग्रा0 मुरस्सापुर, परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को नहर कोठी परियावां से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 इरफान पुत्र स्व0 नियामुल नि0ग्रा0 मुरस्सापुर, परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
वरिष्ठ उ0नि0 राजनारायण सिंह मय हमराह आरक्षी रमेश चन्द्र थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

रेलवे ट्रैक पर साइकिल रखकर ट्रेन संचालन में बाधा पहुंचाने वाले अभियुक्त को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया,

रेलवे ट्रैक पर जानबूझकर साइकिल रख जनसुरक्षा से किया खिलवाड़, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

"रेलवे ट्रैक पर जानबूझकर रुकावट डालकर जनसुरक्षा को खतरे में डालने वाला अभियुक्त गिरफ्तार — पुलिस की सख्त चेतावनी, आमजन से सतर्क रहने व संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील

दिनांक 19.07.2025 को आरपीएफ चौकी प्रभारी कुंडा हरनामगंज द्वारा थाना मानिकपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया। कि ट्रेन के चालक मुख्यालय रायबरेली द्वारा स्टेशन मास्टर कुंडा हरनामगंज को मेमो के माध्यम से सूचित किया गया कि किलोमीटर संख्या 52/9-10 (निकट ग्राम चकोलिया, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़) के मध्य रेलवे ट्रैक पर एक साइकिल पड़ी है, जिससे रेल संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

सूचना पर तत्काल निरीक्षक आरपीएफ संतोष कुमार सिंह मय टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की गई एवं ट्रैक को क्लियर कर रेल संचालन सुचारु कराया गया।

घटनास्थल के निकटवर्ती ग्राम चकोलिया में की गई पूछताछ एवं जांच में उक्त साइकिल फिरोज मोहम्मद पुत्र शब्बीर अली, निवासी ग्राम चकोलिया, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष की पाई गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर रेलवे ट्रैक पर साइकिल डालकर रेल संचालन में बाधा उत्पन्न की गई थी। अभियुक्त फिरोज मोहम्मद उपरोक्त को आरपीएफ टीम द्वारा नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लाया गया

जिसके संबंध में वादी उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, आरपीएफ कुंडा हरनामगंज की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 140/2025 धारा 150(क) रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 मो0 नदीम खान द्वारा कांस्टेबल नरेंद्र यादव द्वारा फिरोज मोहम्मद पुत्र शब्बीर अली, निवासी ग्राम चकोलिया, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष को को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
फिरोज मोहम्मद पुत्र शब्बीर अली, निवासी ग्राम चकोलिया, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
01. उ0नि0 मो0 नदीम खान द्वारा कांस्टेबल नरेंद्र यादव थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ ।

बयान-
रेलवे ट्रैक पर जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर जनसुरक्षा को खतरे में डालना एक गंभीर दंडनीय अपराध है। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा की गई हरकत से न केवल रेल संचालन में व्यवधान उत्पन्न हुआ, बल्कि यात्रियों की जानमाल को भी खतरा उत्पन्न हुआ। ऐसे कृत्य किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।

रेलवे ट्रैक, सरकारी संपत्ति एवं जनसुरक्षा से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करना कानूनन अपराध है, जिसकी सजा कठोर हो सकती है। आमजन से अपील है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य न करें जिससे सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्था अथवा जीवन को खतरा हो। यदि किसी के द्वारा इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है, तो तत्काल निकटतम थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।

थाना-अन्तू, जनपद-प्रतापगढ़

➡ थाना अन्तू पुलिस को बड़ी सफलता – चोरी के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

➡ थाना अन्तू पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 मंगलसूत्र पीली धातु बरामद

➡ थाना अन्तू पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से क्षेत्रान्तर्गत पदमपुर (लगड़ा का पुरवां) से गिरफ्तार किया गया-

घटना का विवरण-
थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पदमपुर (लगड़ा का पुरवां) में वादी के घर से आरोपी द्वारा वादी की पत्नि का मंगलसूत्र चोरी कर भागते समय वादी व वादी के परिजनों द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द करने के प्रकरण में थाना अन्तू पर वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 246/25 धारा 305,331 (4), 317 (2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री रामशंकर पाण्डेय द्वारा जनता के सहयोग से 01 अभियुक्त नीहनी उर्फ निन्ही पुत्र बरसाती उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पद्मपुर (लगड़ा का पुरवां) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तू के पदमपुर (लगड़ा का पुरवां) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 मंगलसूत्र पीली धातु बरामद किया गया।

उक्त चोरी के 01 मंगलसूत्र पीली धातु की बरामदगी के आधार पर थाना अन्तू में मु0अ0स0 246/25 धारा 305,331 (4), 317 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
नीहनी उर्फ निन्ही पुत्र बरसाती उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पद्मपुर (लगड़ा का पुरवां) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी
चोरी का 01 मंगलसूत्र पीली धातु बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 श्री रामशंकर पाण्डेय थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जनता के सहयोग से ।

थाना कुण्डा,जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, धर्म सम्परिवर्तन व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अभियुक्तों को रोडवेज बस अड्डा कुण्डा के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 रविशंकर तिवारी मय हमराह का0 अतुल कुमार,का० प्रवीण कुमार द्वारा दिनांक 20.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/65 (1) /3(5) बीएनएस व पाक्सो एक्ट तथा 3/5 उ0प्र0विधि विरुध्द धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 से संबंधित वांछित अभियुक्तों 1.फिरदोस पुत्र मो० मुस्लिम उम्र करीब 20 वर्ष, 2.नावेद पुत्र मो0 बादसाह उम्र करीब 21 वर्ष निवासीगण फकीराबाद,सराय सैय्यद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत रोडवेज बस अड्डा कुण्डा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1.फिरदोस पुत्र मो० मुस्लिम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी फकीराबाद,सराय सैय्यद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।
2.नावेद पुत्र मो0 बादसाह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी फकीराबाद,सराय सैय्यद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रविशंकर तिवारी मय हमराह का0 अतुल कुमार,का० प्रवीण कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा,जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा धर्म सम्परिवर्तन के अभियोग से संबंधित 07 अभियुक्तों व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्तों व अभियुक्ता को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम काछा दुबे का पुरवा से गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता के पास से 01 धार्मिक पोस्टर, 01 लकडी का क्रास, 01 थर्माकाल का क्रास, 05 धार्मिक पुस्तक, 02 कागजराज के धार्मिक छोटे पोस्टर, 01 छोटी पुस्तक, पोकेट साइज की यीशु की 02 फोटो को किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना जेठवारा प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार वर्मा व उ0नि0 श्री हेमन्त यादव मय हमराह हे0 का0 रामआश्रय यादव, का0 इमरान खान व म0का0 उमा चौहान, हे0का0 अमित यादव व हे0 का दीपक कुमार द्वारा दिनांक 20.07.2025 को देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था, रोकथाम अपराध,तलाश वाँछित अपराधी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 07 नफर अभियुक्तों

1.रामचन्द्र वर्मा पुत्र रामसमुझ वर्मा निवासी दूधनाथ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, 2.राजेन्द्र वर्मा पुत्र स्व0 रामानन्द वर्मा निवासी ग्राम गहरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ, 3.रामसनेही सरोज पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम भग्गू का पुरवा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, 4. अशोक सरोज पुत्र रामकुमार सरोज निवासी ग्राम भग्गू का पुरवा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, 5. सुरेन्द्र उर्फ कल्टू सरोज पुत्र रघुवर सरोज निवासी ग्राम भग्गू का पुरवा थान मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, 6. मुकेश कुमार सरोज पुत्र शिवकुमार ग्राम संसारीपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़, 7. सुनील सरोज पुत्र रामचन्द्र सरोज निवासी ढिंगवस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ व 01 अभियुक्ता को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम काछा दुबे का पुरवा से 01 धार्मिक पोस्टर, 01 लकडी का क्रास, 01 थर्माकाल का क्रास, 05 धार्मिक पुस्तक, 02 कागजराज के धार्मिक छोटे पोस्टर, 01 छोटी पुस्तक, पोकेट साइज की यीशु की 02 फोटो के साथ गिरफ्तार किया गया ।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 159/25 धारा 3 (5) बीएनएस व 3/5 (1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 2021 का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता का विवरण-
1. रामचन्द्र वर्मा पुत्र रामसमुझ वर्मा निवासी दूधनाथ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. राजेन्द्र वर्मा पुत्र स्व0 रामानन्द वर्मा निवासी ग्राम गहरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ ।
3. रामसनेही सरोज पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम भग्गू का पुरवा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।
4. अशोक सरोज पुत्र रामकुमार सरोज निवासी ग्राम भग्गू का पुरवा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।
5. सुरेन्द्र उर्फ कल्टू सरोज पुत्र रघुवर सरोज निवासी ग्राम भग्गू का पुरवा थान मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
6. मुकेश कुमार सरोज पुत्र शिवकुमार ग्राम संसारीपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
7. सुनील सरोज पुत्र रामचन्द्र सरोज निवासी ढिंगवस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
01- अभियुक्ता ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार वर्मा व उ0नि0 श्री हेमन्त यादव मय हमराह हे0 का0 रामआश्रय यादव, का0 इमरान खान, म0का0 उमा चौहान, हे0का0 अमित यादव, हे0 का दीपक कुमार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।